

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 55/2022

उनवान

1. छीतरमल जाट पुत्र यस्व0 श्री ओमकार जाट जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा
प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान } पि0 भूरा जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. छीतरमल }
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 14.7.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1434 रकबा 0.06 है0, 1435 रकबा 0.09 है0, 1445 रकबा 0.04 है0, 1452 रकबा 0.09 है0, 1471 रकबा 0.01 है0, 1473 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है, जिस पवर बुजुर्गों के समय से कब्जा कास्त चला आ रहा है। उक्त आराजी का उप तहसीलदार मनोहपुर के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/ 35 दिनांक 22.10.2021 की पालना में पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 10.11.2021 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 10.11.21 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.11.21 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 10.11.2021 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है, प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 1434 रकबा 0.06 है0, 1435 रकबा 0.09 है0, 1445 रकबा 0.04 है0, 1452 रकबा 0.09 है0, 1471 रकबा 0.01 है0, 1473 रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.11.2021 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2022 को सरै इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उप उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर